राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : एफ.6(1)वित्त 1(1) आय–व्ययक/2018 जयपुर, दिनांक : 4 सितम्बर, 2024

समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी/विभागाध्यक्ष

विषय :– व्यय एवं प्राप्तियों का महालेखाकार राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में दर्ज आंकड़ों से ऑनलाईन अंक मिलान **(Online Reconciliation)** समय पर किए जाने के संबंध में ।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, खण्ड–I के भाग –I के नियम 11(3) के अनुसार प्रत्येक बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा महालेखाकार कार्यालय से महालेखाकार द्वारा निर्धारित तरीके से व्यय/भुगतानों का अंक मिलान करने की व्यवस्था किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त समस्त कार्यालयाध्यक्षों द्वारा व्यय एवं प्राप्तियों का अंकमिलान संबंधित कोषालय/उप कोषालय के आंकड़ो से किये जाने के निर्देश हैं। बजट मैन्युअल खण्ड–I के अध्याय 21 में व्यय तथा अध्याय 26 में प्राप्तियों के अंक मिलान बाबत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

वित्त विभाग के समसंख्यक परिपत्र संख्या 11/2021 दिनांक 18.10.2021 द्वारा महालेखाकार की पुस्तकों से आय व व्यय के आंकड़ों का नियमित रूप से अंक मिलान कराये जाने हेतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य (Online Reconcilation through IFMS) में समय सारणी निर्धारित करते हुए सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को अंकमिलान कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

बजटरी नियन्त्रण तथा प्राप्तियों व व्यय के सही लेखांकन हेतु सभी नियंत्रण अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा नियमित रूप से अंक मिलान कार्य संपादित कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कतिपय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आय–व्यय के आंकड़ों का अंकमिलान कार्य अभी तक प्रारम्भ ही नहीं किया गया है, जबकि अब तक माह जून, 2024 तक का अंकमिलान कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों /बजट नियंत्रण अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नियंत्रणाधीन व्यय तथा प्राप्तियों से संबंधित समस्त बजट मदों का महालेखाकार राजस्थान, जयपुर की लेखा पुस्तिकाओं में अंकित आंकड़ो से चालू वित्तीय वर्ष में माह जून, 2024 तक के आंकड़ों का अंकमिलान दिनांक 10.09.2024 तक आवश्यक रूप से करवायें तथा भविष्य में निर्धारित समय सारणी अनुसार, ऑनलाईन अंकमिलान (Online Reconcilation) वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 09.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

3.9.24

(देबाशीष पृष्टी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

Room No. 5124, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227791 www. finance.rajasthan.gov.inE-mail - dsfbudget@rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अति.मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव को अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/बजट नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित कराने के अनुरोध के साथ।
2. महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
8. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

Room No. 5124, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227791 www. finance.rajasthan.gov.inE-mail - dsfbudget@rajasthan.gov.in